कार्यालय सम्भागीय परिवहन अधिकारी
आगरा सम्भाग, आगरा।

पत्रांकः 101/टीटीजैड/2025 दिनांकः 03.05.2025

प्रेस विज्ञप्ति

सर्व सम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि टी०टी० जैड० प्राधिकरण की 63वीं बैठक दिनांक 24.02.2025 के मुख्य एजेण्डा बिन्दु (मा० अध्यक्ष महोदय की अनुमति से) के बिन्दु सं० 2(2) के अनुपालन में टी०टी०जैड० क्षेत्र में 15 वर्ष से अधिक आयु की विभिन्न थानों में निरूद्ध वाहनों की नीलामी प्रक्रिया का प्रस्ताव टी०टी०जैड० वेबसाइट www.ttzauthority.com पर अपलोड/नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जा रहा है।

उक्त प्रस्ताव पर आपत्ति / सुझाव सम्भागीय परिवहन कार्यालय, आगरा के ई–मेल rtoag-up@nic.in पर आगामी 30 दिन में उपलब्ध कराये जा सकते हैं। निर्धारित समयावधि (30 दिन) में प्राप्त आपत्ति / सुझावों को संकलित / विश्लेषित कर नीलामी प्रक्रिया के अन्तिम अनुमोदन हेतु टी०टी० जैड० प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।

समस्त जन सामान्य से अनुरोध है कि उक्त के सम्बन्ध में आपत्ति/सुझाव तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

सम्भागीय परिवहन अधिकारी, आगरा।

कार्यालय सम्भागीय परिवहन अधिकारी
आगरा सम्भाग, आगरा

प्रेस विज्ञप्ति

सर्व सम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि टी०टी०जैड० प्राधिकरण की 63वीं बैठक दिनांक 24.02.2025 के मुख्य एजेण्डा बिन्दु (मा) अध्यक्ष महोदय की अनुमति से) के बिन्दु सं0 2 (2) के अनुपालन में टी०टी०जैड क्षेत्र में 15 वर्ष से अधिक आयु की विभिन्न थानों में निरूद्ध वाहनों की नीलामी प्रक्रिया का प्रस्ताव टी०टी०जैड० वेबसाइट www.ttzauthority.com पर अपलोड / नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जा रहा है।

उक्त प्रस्ताव पर आपत्ति / सुझाव सम्भागीय परिवहन कार्यालय, आगरा के ई-मेल rtoag-up@nic.in पर आगामी 30 दिन में उपलब्ध कराये जा सकते हैं। निर्धारित समयावधि (30 दिन) में प्राप्त आपत्ति / सुझावों को संकलित / विश्लेषित कर नीलामी प्रक्रिया के अन्तिम अनुमोदन हेतु टी०टी०जैड० प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा ।

समस्त जन सामान्य से अनुरोध है कि उक्त के सम्बन्ध में आपत्ति / सुझाव तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

- सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
आगरा

कार्यालय सम्भागीय परिवहन अधिकारी आगरा सम्भाग, आगरा

पत्र सं0 101/ टीटीजैड/2025 दिनांक 03.05.2025

प्रेस विज्ञप्ति

सर्व सम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि टी0टी0जैड0 प्राधिकरण की 63वीं बैठक दिनांक 24.02.2025 के मुख्य एजेण्डा बिन्दु (मा0 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से) के बिन्दु सं0 2(2) के अनुपालन में टी0टी0जैड0 क्षेत्र में 15 वर्ष से अधिक आयु की विभिन्न थानों में निरूद्ध वाहनों की नीलामी प्रक्रिया का प्रस्ताव टी0टी0जैड0 वेबसाइट www.ttzauthority.com पर अपलोड/नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जा रहा है।

उक्त प्रस्ताव पर आपत्ति / सुझाव सम्भागीय परिवहन कार्यालय, आगरा के ई-मेल rtoag-up@nic.in पर आगामी 30 दिन में उपलब्ध कराये जा सकते हैं। निर्धारित समयावधि (30 दिन) में प्राप्त आपत्ति / सुझावों को संकलित / विश्लेषित कर नीलामी प्रक्रिया के अन्तिम अनुमोदन हेतु टी0टी0जैड0 प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा। समस्त जन सामान्य से अनुरोध है कि उक्त के सम्बन्ध में आपत्ति / सुझाव तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

सम्भागीय परिवहन अधिकारी, आगरा।

टीटीजेड में 15 वर्ष पुराने वाहन किए जाएंगे नीलाम

आगरा। ताज ट्रेपेजियम जोन (टीटीजेड) क्षेत्र में 15 वर्ष पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लग चुका है। ऐसे वाहनों को अब नीलाम किया जाएगा।

वेबसाइट पर वाहनों का ब्योरा किया अपलोड

इन वाहनों का ब्योरा सोमवार को टीटीजेड प्राधिकरण ने नीलामी के लिए वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। टीटीजेड की 24 फरवरी को हुई बैठक में यह निर्णय हुआ था। प्राधिकरण अध्यक्ष व मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह ने विभिन्न पुलिस थानों में निरुद्ध 15 वर्ष पुराने वाहनों की नीलामी प्रक्रिया के आदेश दिए थे। आपत्ति व सुझाव के लिए 30 दिन की अवधि तय की गई है। इन पर आगामी बैठक में सुनवाई होगी। सुनवाई के बाद 15 वर्ष पुराने वाहनों को सार्वजनिक रूप से नीलाम किया जाएगा। ब्यूरो